जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5263 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत मोहम्मदगढ़ से कालर द्वारा विवाद/मारपीट में घायल 05 व्यक्तियों (1.अहमद अली पुत्र मुस्तफा 2. इसरार अहमद पुत्र मुस्तफा 3. मुस्कान खातून पुत्री अहमद अली 4.शायरा खातून पत्नी मुस्तफा 5.साजिदा खातून पत्नी अहमद अली निवासीगण ग्राम मोहम्मदगढ़ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपाट में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहाय्रता से सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 सूरज भारती, हो0चा0 चन्द्रभान चौहान।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 81 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 81 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.04.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को 01 अदद चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा गठित पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 271/2025 धारा 137(2), 351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता इमरान अली पुत्र जुनैद अली उर्फ बबलू निवासी विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 05.04.2025 को ओपेन जीम एचआरपीजी कालेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर जरिये प्रार्थना पत्र सूचना दिया गया कि वादी के नाबालिग भजीता जो दिनांक 12.02.2025 को अपने मोहल्ले में खेल रहा था तभी आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने गाड़ी पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर भतीजे को चाकू मारने की धमकी देकर जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म किया तथा मोहल्ले के ही अन्य 04 बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आज दिनांक 05.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इमरान अली पुत्र जुनैद अली उर्फ बबलू निवासी विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, हे0का0 आकाश कुमार, हे0का0 अलीहसन सिद्दीकी।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 05.04.2025

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 10 स्थानों पर लगवाये गये 101 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 05.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से *10 स्थानों पर कुल 101 सीसीटीवी कैमरें* लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 47 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 07 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 15 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 12 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, ***आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।***